34 एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में दिनांक 4 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 27वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की सत्ताईसवीं बैठक एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में दिनांक 4 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न 10:30 बजे सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। भागीदारों की सूची **अनुबंध-1** पर संलग्न है।

अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने प्राधिकरण के सदस्यों और उद्योग के विशेष आमंत्रितों का बैठक में स्वागत किया। उन्होंने एफ.एस.एस.ए.आई के पूर्व अध्यक्ष श्री आशीष बहुगुणा को खाद्य प्राधिकरण को उनके योगदान और नेतृत्व के लिए तथा प्राधिकरण की प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुचारू बनाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने प्राधिकरण का धन्यवाद दिया और पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व की सराहना की। इसके बाद कार्यसूची की मदों पर विचार किया गया।

मद सं0 1: दिनांक 14.06.2018 को आयोजित 26वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सदस्यों को परिचालित 26वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसका अंगीकरण किया गया।

मद सं0 2 : 26वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निम्नलिखित अवलोकनों के साथ नोट की गई।

क) खाद्य प्राधिकरण ने लंबित अधिसूचनाओं का अनुमोदन तीव्रता से करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सराहना की।

ख) सुश्री मीतू कपूर (सीआईआई), विशेष आमंत्रिती ने मद सं0 26.1(क)(II) के तहत एफएक्यू बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे सचिवालय ने नोट किया। मद सं0 26.1ग(2) के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं की पैकेजिंग, भंडारण, लाने-ले जाने अथवा वितरित करने के लिए रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक के उपयोग संबंधी निर्णय के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक पर प्रतिबंध संबंधी उपबंध पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार हैं। आगे प्लास्टिक रिसाइक्लिंग के भारतीय मानक मार्गदर्शी

सिद्धांतों (आईएस 14534) में उन अंत्य उत्पादों के निर्माण में रिसाइकिल किए गए/पुन: प्रसंस्कृत प्लास्टिक की सामग्रियों के प्रयोग की अनुमति नहीं है, जो खाद्य सामग्री, भेषज सामग्री और पेय जल के संपर्क में आते हैं।

ग) मद सं0 26.1ज के अंतर्गत फोंट साइज के परिप्रेक्ष्य में लेबलिंग अपेक्षाओं के अनुपालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया। प्राधिकरण ने मामले पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।

घ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन हेतु सदस्यों से आमंत्रित फीडबैक/सम्मतियाँ प्राप्त हो गई हैं और अधिनियम के संशोधन का अंतिम प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्रालय को विचार हेतु अगले दो-तीन सप्ताह में भेज दिया जाएगा।

मद सं0 III : मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

प्राधिकरण ने बैठक के दौरान प्रस्तुत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट नोट की (**अनुबंध-2**)।

अनुमोदनार्थ कार्यसूची

27.1 खाद्य मानक/विनियम

(क) अंतिम अधिसूचनाओं के लिए प्रस्तावित संशोधन

(I) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011;

(i) 'विनियम 2.2 : वसा, तेल और वसा पायस' में संशोधन

(क) चिया तेल और इसके वसीय अम्ल का संघटन

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(ii) 'विनियम 2.3 : फल और सब्जी उत्पाद' में संशोधन

(क) कोकोनट दूध और कोकोनट क्रीम

(ख) कोकोनट दुग्ध पाउडर (गैर-डेयरी)

(ग) बादाम

कोकोनट दुग्ध पाउडर के संबंध में विशेष आमंत्रिती ने कहा कि देश में अधिकांश कोकोनट दुग्ध पाउडर आयातित होता है तथा सुझाव दिया कि 'बल्क डेंसिटी' मानदंड के लिए विहित ऊपरी सीमा बढ़ा दी जाए। यह स्पष्ट किया

गया कि प्रस्तावित सीमा मसौदा अधिसूचना वाली ही है तथा डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों तथा अन्य हितधारकों से इस संबंध में कोई सम्मति प्राप्त नहीं हुई। तथापि इस मुद्दे पर मानक पुनरीक्षण समूह द्वारा अलग से विचार किया जाएगा।

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(iii) 'विनियम 2.4 : धान्य और धान्य उत्पाद' में संशोधन

(क) चावल

(ख) बासमती चावल

(ग) चिया

(घ) गरी (कसावा उतपाद)

(ङ) खाद्य कसावा आटा

(च) चना सत्तू

(छ) रागी का आटा

सदस्यों और विशेष आमंत्रितों के कतिपय अवलोकन थे और निम्नलिखित चर्चा हुई :

क) चावल संबंधी मद के बारे में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधि तथा विशेष आमंत्रिती ने आर्द्रता अंश की सीमा पर मामला उठाया क्योंकि प्रस्तावित सीमा (13%) व्यावहारिक रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती तथा उसे कोडेक्स के समनुरूप 13% से बढ़ाकर 15% करने का अनुरोध किया। सचिवालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति ने आर्द्रता अंश 13% से अधिक हो जाने पर चावल में एफ्लाटोक्सिन बनने का मामला उठाया था, जिसके संबंध में कई अध्ययन उपलब्ध हैं। आगे, कोडेक्स मानकों में यह विहित है कि आर्द्रता अंश की 15% सीमा संबंधित देशों में जलवायु, परिवहन तथा भंडारण की अवधि संबंधी अवस्थाओं के मद्देनजर कम की जा सकती है। तथापि खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग को अनुरोध किया गया कि वह अपने पास उपलब्ध डैटा को प्राधिकरण को उपलब्ध कराए, जिस पर पैनल द्वारा विचार किया जा सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी सुझाव दिया कि चावल तथा अन्य खाद्यान्नों में वास्तविक जोखिम-

आधारित प्रतिचयन परीक्षण पर आधारित आर्द्रता तथा एफ्लाटोक्सिन के मध्य संबंध का सर्वेक्षण कराया जा सकता है।

ख) 'पिन-प्वाइंट क्षतिग्रस्त गुठलियों' के लक्षणों का 'पिन-प्वाइंट गुठलियाँ' पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया गया, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

ग) मिल्ड स्टीम्ड चावल के अंतर्गत 'धुँधली गुठलियाँ' के संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधि ने सीमा को 11.0% से कम करके 5.0% करने का सुझाव दिया, जबकि विशेष आमंत्रिती ने सीमा को 11.0% से बढ़ाकर 20% करने का सुझाव दिया। यह भी सूचित किया गया कि यह स्टाइल (मिल्ड स्टीम्ड चावल) मसौदा अधिसूचना की अवस्था में नहीं है। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि मानकों से 'चावल' के साथ-साथ 'बासमती चावल' के अंतर्गत इस स्टाइल को हटा दिया जाए और इसकी अलग से पुनरीक्षा की जाए।

घ) 'बासमती चावल' के अंतर्गत 'गैर-बासमती चावल की अन्य किस्में' के लक्षण के बारे में विशेष आमंत्रिती ने सीमा को 3.0% से बढ़ाकर 5% करने का सुझाव दिया। संयुक्त, वाणिज्य मंत्रालय ने भी बीज मिल जाने के कारण बासमती चावल के साथ गैर-बासमती चावल की गैर-इरादतन खेती से परिचित कराया। प्राधिकरण सीमा को 5.0% करने पर सहमत हुई।

ङ) विशेष आमंत्रिती ने सम्मिश्र टूटे बासमती की एक नई श्रेणी बनाने का अनुरोध किया, जिसमें 60% टूटा बासमती चावल और 40% अन्य किस्म का चावल हो सकता है। प्राधिकरण इस बात पर सहमत हुई कि उद्योग के संघों द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद पैनल में इस पर चर्चा की जा सकती है।

च) कार्यसूची के वाल्यूम II के पृष्ठ 12 पर *''#टूटा बासमती चावल: यह उन सभी टाइपों के लिए होगा जिनका नाम और बीज की न्यूनतम लंबाई प्रत्येक के सामने ब्रेकिट में उल्लेख के अनुसार हो:''* विवरण में 'न्यूनतम लंबाई' शब्दों की जगह 'औसत लंबाई' शब्द रखने का सुझाव भी दिया गया, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

छ) 'चना सत्तू' के बारे में विशेष आमंत्रिती ने कहा कि कण साइज संबंधी अपेक्षा अन्य खाद्य उत्पादों में संघटक के रूप में इसके उपयोग के अनुसार भिन्न हो सकती है और ''कण साइज से संबंधित मानदंड उन अंतवर्ती उत्पादों के लिए लागू नहीं होगा जो सीधे सेवन के लिए न हों'' पाद-टिप्पणी जोड़ने का अनुरोध किया, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

ज) 'रागी का आटा' संबंधी मद संबंधी अपेक्षा (टाइपिंग की गलती) अर्थात् 'अधिकतम 80 प्रति शत को 180सी माइक्रोन छलनी (80 मेश) से छाना जाएगा' को काटने का सुझाव दिया गया, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

उपर्युक्त संशोधनों के साथ प्राधिकरण ने प्रस्तावित अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(iv) 'विनियम 2.9 : लवण, मसाले, कंडिमेंट और सम्बद्ध उत्पाद' में संशोधन

(क) सूखी अजवायन (साबुत और पिसी)

(ख) पिमेंटो अथवा आल स्पाइस (साबुत तथा पिसी)

(ग) सूखा जायपत्र अथवा तेजपत्ता (साबुत और पिसा)

(घ) सूखा पौदीना

(ङ) सूखी रोजमैरी

(च) मिश्र मसाला पाउडर

(छ) स्पाइस ओलियोरेजिन

(ज) तेजपात

(झ) चक्र फूल

'मिश्र मसाला पाउडर' की मद के संबंध में विशेष आमंत्रिती ने कहा कि हालांकि मसाले अपने वाष्पशील तेल संबंधी अपेक्षाओं का अलग-अलग पालन करते हैं, उनसे मिश्र मसाला पाउडर बनाते समय उस अपेक्षा को बनाए रखना कठिन है। तथापि प्राधिकरण इन सीमाओं में परिवर्तन पर सहमत नहीं हुई क्योंकि ये सीमाएँ एग्मार्क मानकों में भी पहले ही विहित हैं।

'मसाले' की मद के संबंध में विशेष आमंत्रिती ने प्रस्तावित सूची में कुछ अन्य मसाला ओलियोरेजिन यथा लहसुन, मेथी इत्यादि को शामिल करने का सुझाव

दिया। आमंत्रिती को खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार के लिए अलग प्रस्ताव देने को कहा गया।

इन संशोधनों के साथ प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(II) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम

(क) आम नमक की बिक्री पर प्रतिषेध

(ख) ताजा/अप्रयुक्त कुकिंग ऑयल में टोटल पोलर कंपाउंड की सीमा

'आम नमक की बिक्री पर प्रतिषेध' की मद के बारे में भारत में आयातित खाद्य उत्पादों में संघटक के रूप में आयोडीनयुक्त लवण के प्रयोग के मुद्दे पर चर्चा की गई। यह स्पष्ट किया गया कि उक्त उपबंध वस्तुत: खुदरा बिक्री में गैर-आयोडीनीकृत नमक की बिक्री को बंद करना था और अंतिम उत्पादों का परीक्षण उनके गुणता मानदंडों के लिए किया जाएगा, न कि आयोडीनीकरण के लिए। आयोडीनीकृत नमक के प्रयोग की जाँच उत्पादन प्रक्रिया के दौरान की जा सकती है। आगे, विशेष आमंत्रिती ने प्राधिकरण को इस संबंध में एफएक्यू बनाने का अनुरोध किया, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

'ताजा/अप्रयुक्त वनस्पति तेल में टोटल पोलर कंपाउंडों की सीमा' की मद के बारे में यह स्पष्ट किया गया कि यह प्रस्ताव मसौदा अधिसूचना के लिए है और इसे हितधारकों से सम्मतियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

प्राधिकरण ने अंतिम और मसौदा अधिसूचनाओं का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(ख) मसौदा अधिसूचनाओं में प्रस्तावित संशोधन

(I) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम

(i) 'विनियम 2.1 : डेयरी उत्पाद और सदृश उत्पाद' में संशोधन

(क) अल्प लैक्टोज/लैक्टोज मुक्त दूध के मानकों को शामिल करना

(ख) खंड 2.1.17 के अंतर्गत मोजारेला पनीर की परिभाषा को शामिल करना

(ii) 'विनियम 2.3 : फल और सब्जी उत्पाद' में संशोधन

(क) "2.3.6 : प्रसंस्कृत फल जूस" के अंतर्गत मोंक फ्रूट के मानकों को शामिल करना

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(iii) 'विनियम 2.4 : धान्य और धान्य उत्पाद' में संशोधन

(क) बिस्कुट

(ख) ब्रेड और ब्रेड किस्म के उत्पाद

(ग) ज्वार

(घ) मैदा

(ङ) सूजी

(च) नाश्ते के धान्य

(छ) बाजरे का आटा

(ज) ज्वार का आटा

'ज्वार' के संबंध में विशेष आमंत्रिती के आर्द्रता के बारे में अवलोकन थे, जिसके संबंध में उन्हें हितधारकों से सम्मतियाँ प्राप्ति की अवस्था में अपनी सम्मतियाँ आँकड़ों के साथ देने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(iv) 'विनियम 2.8 : शहद सहित मीठाकारी एजेंट' में संशोधन

(क) सूक्रालोज

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(v) 'विनियम 2.9 : मसाले, कंडिमेंट और सम्बद्ध उत्पाद' में संशोधन

(क) जीरा (साबुत और पिसा)

(ख) लौह पौष्टिकीकृत आम नमक

(ग) सूखी अजवायन

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(vi) 'विनियम 2.12 : मालिकाना खाद्य' में संशोधन

(क) खंड (2) में संशोधन

मसौदा अधिसूचना पर कतिपय अवलोकनों के संबंध में विशेष आमंत्रितियों को अपनी सम्मतियाँ मसौदा अधिसूचना के समय देने का परामर्श दिया गया। प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(vii) 'विनियम 2.14 और 2.15 : ग्लुटेन मुक्त खाद्य और ग्लुटेन अंश को 20-100 मिग्रा/ क्रिगा के स्तर तक कम करने के लिए विशेषत: प्रसंस्कृत खाद्य

(क) ग्लुटेनमुक्त और अल्प ग्लुटेन उत्पाद मानक की पुनरीक्षा

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(viii) 'अध्याय 3 : खाद्य में योजित पदार्थ' और 'परिशिष्ट' में संशोधन

(क) ट्रीहैलोज

(ख) एफसी 1.7 "डेयरी-आधारित डेजर्ट" में टोकोफेरॉल को शामिल करना

(ग) खाद्य श्रेणी 14.1.4.2 और 14.1.4.2 में बेन्जोएट की सीमाएँ

(घ) विभिन्न खाद्य श्रेणियों में उपयोग के लिए अतिरिक्त प्रसंस्करण सहायक सामग्रियाँ

'बेन्जोएट की सीमाएँ' मद के संबंध विशेष आमंत्रिती ने इस मुद्दे पर कोडेक्स में चालू कार्य से प्राधिकरण को अवगत कराया और प्राधिकरण को अंतिम निर्णय लेने से पहले कोडेक्स की सिफारिशों की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

प्राधिकरण ने खाद्य श्रेणी 14.1.4 और 14.1.4.2 में यथाप्रस्तावित बेन्जोएट की सीमाओं को छोड़कर मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(ix) 'परिशिष्ट ख: सूक्ष्मजैविक अपेक्षाएँ' में संशोधन

(क) अंडा और अंडा उत्पादों के सूक्ष्मजैववैज्ञानिक मानक

(ख) सूक्ष्मजैविक रूप से संदूषित नमूनों के पुन: परीक्षण की प्रक्रियाएँ/प्रोटोकॉल

''सूक्ष्मजैविक रूप से संदूषित नमूनों के पुन: परीक्षण की प्रक्रियाएँ/ प्रोटोकॉल'' मद के संबंध में विशेष आमंत्रिती ने 'असंतोषजनक परिणाम की स्थिति में कार्रवाई' शीर्षक के अंतर्गत *'बाजार में जारी करने के लिए'* वाक्यांश के विलोपन के संबंध में प्राधिकरण की 24वीं बैठक में लिए गए निर्णय का स्मरण कराया और कहा कि उसे दिनांक 12.12.2018 की हाल की मसौदा अधिसूचना में क्रियान्वित नहीं किया गया है। उन्होंने उसकी अन्य सभी संगत मसौदा अधिसूचनाओं में जाँच करने के साथ-साथ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना और प्रस्ताव का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(II) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम

(क) पेस्टीसाइडों की एमआरएल का निर्धारण

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

विशेष आमंत्रितियों ने पेस्टीसाइडों की एमआरएल के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) तृतीय संशोधन विनियम, 2018 के क्रियान्वयन के लिए संक्रामणकाल का अनुरोध किया। तथापि , यह स्पष्ट किया गया कि ये सुरक्षा मानक हैं, अत: प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई संक्रामण काल नहीं दिया है।

(III) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम

(क) ग्लुटेनमुक्त और अल्प ग्लुटेन उत्पाद मानक का पुनरीक्षण

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(IV) खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग हेतु खाद्य, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम

(क) खंड के उपयोग की परंपरा

(ख) 0-24 माह आयु समूह के शिशुओं के लिए न्युट्रास्युटिकल्स विनियमों की प्रयोजनीयता

(ग) ग्रीन टी कैटेचिन की सीमा

(घ) प्रोबॉयोटिक और प्रीबॉयोटिक

(ङ) टिकियाओं, कैप्सूलों और सिरपों के लिए अनुमत रंगों का प्रयोग

(च) कैफीन और अन्य कोई एकल शोधित रासायनिक पदार्थ

(छ) सिट्रुलिन स्रोत को शामिल करना

(ज) दिनांक 29.06.2018 के निर्देश के परिशिष्ट I में शामिल 14 संघटकों की पुनरीक्षा

'0-24 माह आयु समूह के शिशुओं के लिए न्युट्रास्युटिकल्स विनियमों की प्रयोजनीयता' मद के संबंध में विशेष आमंत्रिती ने प्रकाश डाला कि उप विनियम (31) *'7 माह से अधिक और 24 माह तक के आयु समूह के लिए उपयोग की सुरक्षित परंपरा वाले पादप अथवा वानस्पतिक संघटकों वाले स्वास्थ्य अनुपूरक/ न्युट्रास्युटिकल्स/विशेषता खाद्य/योजित प्रोबॉयोटिक संघटकों वाले खाद्य/योजित प्रीबॉयोटिक संघटकों वाले खाद्य के रूप में बेचे जाने वाले कोई खाद्य खाद्य प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना अनुमत नहीं है।'* प्राधिकरण द्वारा अपनी 24वीं बैठक में अनुमोदित मसौदा शिशु खाद्य विनियमों के अनुरूप नहीं है, जिसके तहत ऐसे किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि मसौदा खाद्य विनियम में भी उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार संशोधन किया जाएगा।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(V) खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम

(क) एग्रीगेटर/मध्यवर्ती और 'इन-कन्वर्शन' उत्पादों के उपबंध शामिल करना

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(VI) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2018

(क) विदेशी खाद्य उत्पादक सुविधाओं के पंजीकरण और निरीक्षण का सम्मिलन

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(VII) खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) संशोधन विनियम, 2019

(क) द्रुत विश्लेषणात्मक खाद्य परीक्षण किट, उपस्कर अथवा पद्धति के अनुमोदन की प्रकिया

प्राधिकरण ने उक्त संशोधन के क्रियान्वयन के लिए मसौदा अधिसूचना और प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(ग) विविध :

1) पान मसाला में मैग्नेशियम कार्बोनेट का उपयोग

2) विश्लेषण पद्धतियों का अंतिमन - खाद्य में पौष्टिकीकारक

3) घी में वनस्पति तेलों का अपमिश्रण ज्ञात करने की पद्धति

4) पैकेजिंग संबंधी नए वैज्ञानिक पैनल के गठन का प्रस्ताव

5) कोलिस्टिन के सुरक्षा संबंधी मुद्दे

'पान मसाला में मैग्नेशियम कार्बोनेट का उपयोग' मद के संबंध में प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति द्वारा समर्थित वैज्ञानिक पैनल की इस सिफारिश का अनुमोदन किया कि मैग्नेशियम कार्बोनेट को सहयोज्य के रूप में अनुमत न किया जाए। तथापि, प्राधिकरण पान मसाला को एफ.एस.एस.आर से निकालने पर सहमत नहीं हुई, हालांकि वह लेबल पर वैज्ञानिक समिति के इस कथन के चेतावनी उपबंध कि ''पान मसाला सेहत के लिए हानिकर है'' को इस रीति से शामिल करने के सुझाव पर सहमत हुई कि चेतावनी लेबल के सम्मुख भाग के 50% हिस्से पर आए।

प्राधिकरण ने उपर्युक्त सभी प्रस्तावों का अनुमोदन किया।

(घ) जल बिक्री मशीनों के माध्यम से पेश किए गए अथवा बेचे गए पेय जल से संबंधित अंतिम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियमय, 2018 - अभिपुष्टि के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(ङ) आइस/आइस लोलीज के मौजूदा मानकों में संशोधन से संबंधित अंतिम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) सातवाँ संशोधन विनियम, 2018 - अभिपुष्टि के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(च) सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल की लेबलिंग अपेक्षा के संदर्भ में अंतिम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2018

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(छ) खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में सूचना के प्रदर्श के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2018 पर अंतिम अधिसूचना

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की। प्राधिकरण ने अध्यक्ष को वैज्ञानिक समिति की सम्मतियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद अपनी ओर से अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया।

(ज) शहद के मानकों के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढ़ीकरण) विनियम, 2018 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) 9वें संशोधन विनियम, 2018 का शुद्धिपत्र

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(झ) मानकों/विनियमों और एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा जारी किए गए निर्देशों का क्रियान्वयन - अभिपुष्टि के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

27.2 खाद्य परीक्षण और निगरानी

निम्नलिखित का सैद्धांतिक अनुमोदन -

एनएबीएल, ईआईसी इत्यादि अन्य सरकारी संस्थाओं के सहयोग से एक सामान्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाद्य प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन से पहले उनका आकलन

प्राधिकरण ने प्रस्ताव का सैद्धांतिक अनुमोदन किया।

निम्नलिखित की अभिपुष्टि -

(क) एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा खाद्य प्रयोगशालाओं की अधिसूचना

- **धारा 43 (1) के तहत खाद्य प्रयोगशालाओं की सूची**
- **धारा 43 (2) के तहत रेफरल प्रयोगशालाओं की सूची**

(ख) राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं की सूची

(ग) इनके साथ हस्ताक्षरित एमओयू :

मेसर्स मेर्स्क लिमिटेड एंड मेसर्स सिगमा एल्डरिच केमिकल्स प्रा0 लि0

(घ) लवल विश्वविद्यालय, क्यूबेक, कनाडा के साथ हस्ताक्षरित एमओयू

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

27.3 खाद्य सुरक्षा अनुपालन

(क) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य संपरीक्षण) विनियम, 2018 के अंतर्गत एजेंसियों को मान्यता - अभिपुष्टि के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(ख) अनिवार्य ऑडिट वाले खाद्य कारोबारियों के लिए श्रेणी/श्रेणियाँ संस्तुत करना और उनकी ऑडिट आवृत्ति तथा ऑडिट अवधि के बारे में निर्णय - अनुमोदन के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया। आगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सुझाव दिया कि उद्योग के प्रतिनिधि खाद्य सुरक्षा ऑडिट के इस नए ईकोसिस्टम के बारे में हितधारकों को अवगत कराने के लिए कार्यशाला आयोजित करें।

(ग) केंद्रीय सलाहकार समिति की 22वीं और 23वीं बैठकों के कार्यवृत्तों का अंगीकरण - अंगीकरण हेतु

प्राधिकरण ने सूचना के लिए परिचालित कार्यसूची की मदों को नोट किया।

(घ) एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देश

(ङ) अनिवार्यत: नष्ट करने के आदेश जारी करना - अभिपुष्टि के लिए

(च) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम - पुनरीक्षण - अभिपुष्टि के लिए

(छ) आयातित एल्कोहल की खेपों पर संशोधनीय लेबलिंग सूचना - अभिपुष्टि के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की उपर्युक्त मदों को नोट कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

27.4 शासन और प्रशासन

(क) नए अधिसूचित भर्ती विनियमों के तहत कार्मिकों की भर्ती - अनुमोदन के लिए

प्राधिकरण ने प्रस्तावित पदों की स्वीकृति के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का आभार व्यक्त किया तथा कार्यसूची के पृष्ठ 201 से 203 पर दी गई अधिकार-दत्त समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

(ख) एफ.एस.एस.ए.आई के कार्यालय भवन का निर्माण और उसके व्यय का वहन - अनुमोदन के लिए

अध्यक्ष के सुझाव के अनुसार इस मद को वापस ले लिया गया और इसे चर्चा के लिए नहीं रखा गया।

(ग) एफ.एस.एस.ए.आई की वित्तीय विवरणियों के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 की अलग ऑडिट रिपोर्ट - अनुमोदन के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर एफ.एस.एस.ए.आई की वित्तीय वर्ष 2017-2018 की वित्तीय विवरणियों और अलग ऑडिट रिपोर्ट का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

27.5 खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण

(क) फोस्टैक प्रशिक्षण - अनुमोदन के लिए

प्राधिकरण ने प्रस्ताव का सैद्धांतिक अनुमोदन किया।

अध्यक्ष की अनुमित से अन्य कोई मद

1. कार्यसूची की पूरक मद सं0 27.IV (1)
खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग का ढाँचा और उसकी संस्थागत प्रणाली विकसित करना

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

2. कार्यसूची की पूरक मद सं0 27.IV (2)
मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (जीन-परिवर्तित खाद्य) विनियम, 2019

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

3. कार्यसूची की पूरक मद सं0 27.IV (3)

"बच्चों को लक्षित करते हुए उच्च वसा, शर्करा, लवण (एच.एफ.एस.एस.) खाद्य पदार्थों के विज्ञापन पर प्रतिषेध" के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 में संशोधन

विशेष आमंत्रिती के कतिपय अवलोकन थे और उन्होंने प्राधिकरण को सम्मतियाँ प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया। प्राधिकरण ने अगले दो सप्ताह में सम्मति प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की। इसने यह भी निर्णय लिया कि प्राप्त सम्मतियों, जो भी उपयुक्त हों, के आधार पर पुनरीक्षित संशोधन विनियम पर प्राधिकरण की तरफ से अध्यक्ष के अनुमोदन से आगे की कार्रवाई की जाए।

4. कार्यसूची की पूरक मद सं0 27.IV (2)

खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में एक-वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

प्राधिकरण ने अपनी ओर से अध्यक्ष को समिति द्वारा अनुशंसित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित आवश्यकतानुसार विभिन्न पदों (उपयुक्त नामावली के तहत) की योग्यता में किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नाताकोत्तर डिप्लोमा शामिल करने का अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया। सदस्यों/विशेष आमंत्रितियों को एफ.एस.एस.ए.आई में सीधी भर्ती, यदि कोई हो, के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में भावी स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को शामिल करने के संबंध में दिनांक 28.01.2019 के नोटिस पर अपने सुझाव देने का अनुरोध किया।

5. कार्यसूची की पूरक मद सं0 27.IV (5)

राजपत्र-अधिसूचित 'एल्कोहलीय बीवरेज' विनियमों पर हितधारकों की सम्मतियों की समीक्षा

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि लेबलिंग अपेक्षाओं के संबंध में विनियमों में संशोधनों के अंतिम रूप दिए जाने तक खाद्य कारोबारियों को पुराने लेबलों अथवा स्टिकरों का प्रयोग करने, जहाँ अनुमत हो, की अनुमति दी जाए।

6. कार्यसूची की पूरक मद सं0 27.IV (6)

खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2018 में पेस्टीसाइडों की अधिकतम अवशिष्ट सीमा (एमआरएल) का कोडेक्स से सुमेलन का मुद्दा

प्राधिकरण ने पेस्टीसाइडों की एमआरएल तय करने की पद्धति के संबंध में दिनांक 25 मई, 2017 को आयोजित अपनी 23वीं बैठक में लिए गए निर्णय की पुनरीक्षा की। विस्तृत चर्चा के बाद पेस्टीसाइडों की एमआरएल सीआईबी एंड आरसी द्वारा उपलबध कराए गए आँकड़ों तथा वैज्ञानिक पैनल द्वारा उचित जोखिम आकलन के आधार पर करने तथा जहाँ कहीं कोडेक्स के अनुसार अधिक एमआरएल तय की गई हैं वहाँ आवश्यक संशोधन करने की अनुशंसा की गई।

7. कार्यसूची की पूरक मद सं0 27.IV (7)

"तेलों और वसाओं में डाइएसिटिल के सुवासकारी पदार्थ के रूप में उपयोग पर प्रतिषेध" से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2018 में अंतिम (मसौदा) अधिसूचना

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

8. कार्यसूची की पूरक मद सं0 27.IV (8)

स्वस्थ भारत यात्रा की समीक्षा

प्राधिकरण ने सूचना के लिए परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया और की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

बैठक सभी भागीदारों को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

हस्ता/-	हस्ता/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष

अनुबंध 1

उपस्थित सदस्यों की सूची

क. **प्राधिकरण के सदस्य**

1. सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई;
2. श्री पवन अग्रवाल, सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई, सदस्य सचिव;
3. श्री मनदीप भंडारी, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
4. श्री संतोष सारंगी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
5. श्री विश्वजीत हलदर, उपायुक्त, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
6. श्री जितेंद्र कुमार, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
7. श्री शैलेंद्र सिंह, सहायक निदेशक, विधिक माप-विज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग (श्री पी. वी. रामशास्त्री, संयुक्त सचिव की एवज में)

ख. विशेष आमंत्रिति

1. सुश्री पर्णा दासगुप्ता, फिक्की;
2. सुश्री मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई);
3. सुश्री श्रेया पांडेय, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्ज एशोसिएशन (एआईएफपीए);

ग. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी

1. सुश्री माध्वी दास, सी.एम.एस.ओ
2. श्री कुमार अनिल, सलाहकार (मानक)
3. श्री सुनील बख्शी, सलाहकार (कोडेक्स/विनियम)
4. श्री एन. भास्कर, सलाहकार (क्यूए)
5. सुश्री सुनीति टुटेजा, निदेशक (आयात/एफएफआरसी)
6. श्री आर. के मित्तल, प्रमुख (आरसीडी)
7. श्री राज सिंह, प्रमुख (सामान्य प्रशासन)
8. श्री ए.के. चाणना, प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)
9. डॉ. ए. के. शर्मा, परामर्शदाता
10. डॉ. एस. सी. खुराना, परामर्शदाता
11. डॉ. ए.सी मिश्रा, संयुक्त निदेशक (मानक)
12. श्री पी. कार्तिकेयन, उप निदेशक (विनियम/कोडेक्स)
13. सुश्री वर्षा गुप्ता, वैज्ञानिक IV(3) (मानक)

14. डॉ. कविता रामसामी, वैज्ञानिक IV(3) (मानक)

15. सुश्री कृति चुघ, सहायक निदेशक (मानक)

16. सुश्री रत्ना श्रीवास्तव, वैज्ञानिक iv(I) (विनियम)

17. डॉ. (सुश्री) शेल्वी अग्रवाल, तकनीकी अधिकारी (मानक)

0-0-0-0-0

अनुबंध-2

खाद्य प्राधिकरण की 27वीं बैठक (04.02.2019)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट (यथाप्रस्तुत)

1. खाद्य मानक/विनियम

दिनांक 14 जून, 2018 को आयोजित प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पेनलों की बैठकें तथा मानक-निर्धारण का कार्य

अवधि के दौरान वैज्ञानिक पैनलों की बैठकें कई बार हुईं और उन्होंने मानकों के मसौदों के निर्धारण में तथा खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर सुझाव देने में सार्थक योगदान दिया। उनकी विभिन्न सिफारिशों पर एफ.एस.एस.ए.आई की वैज्ञानिक समिति, जिसमें सभी वैज्ञानिक पैनलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ख्यात वैज्ञानिक भी हैं, द्वारा चर्चा की गई, जिसे खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के लिए कार्यसूची में शामिल किया गया है।

1.1 वैज्ञानिक समिति की बैठकें (1) : वैज्ञानिक समिति की 31वीं बैठक दिनांक 15 नवंबर, 2018 को हुई।

1.2 वैज्ञानिक पैनलों की बैठकें (37) : अवधि के दौरान लेबलिंग और दावे/विज्ञापन पैनल को छोड़कर निम्नलिखित पैनलों की बैठकें हुईं:

i) **प्रतिजैविक अवशिष्ट वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की पहली बैठक दिनांक 14 सितंबर, 2018 को हुई।

ii) **सूक्ष्मजैविक खतरे वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 24वीं और 25वीं बैठक क्रमश: दिनांक 13 जून, 2018 तथा 11 अक्टूबर, 2018 को हुई।

iii) **धान्य, दालें और फलियाँ तथा उनके उत्पाद (बेकरी सहित) वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 22 जून, 2018, 07 सितंबर, 2018, 08 अक्टूबर, 2018 और 03 दिसंबर, 2018 को हुईं।

iv) **खाद्य श्रृंखला संदूषक वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 20वीं बैठक दिनांक 26 सितंबर, 2018 को हुईं।

v) **मछली और मत्स्य उत्पाद वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 15वीं और 16वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 06 जुलाई, 2018 और 14 नवंबर, 2018 को हुईं।

vi) **खाद्य सहयोज्य, सुवासकारी पदार्थ, प्रसंस्करण सहायक सामग्री और खाद्य संपर्क सामग्री वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 37वीं और 38वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 18 जुलाई, 2018 और 01 नवंबर, 2018 को हुईं।

vii) **फल और सब्जियाँ तथा उनके उत्पाद (सूखे फलों और गिरियों सहित) वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 14वीं और 15वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 26 सितंबर, 2018 और 21 दिसंबर, 2018 को हुईं।

viii) **प्रयोजनमूलक खाद्य, न्युट्रास्युटिकल्स, आहारिक उत्पाद ओर अन्य सदृश उत्पाद वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 39वीं, 40वीं और 41वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 27 जून 2018, 24 जुलाई 2018 और 25 सितंबर, 2018 को हुईं।

ix) **जीन-परिवर्तित जीवाणु और खाद्य वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 14वीं और 15वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 17 जुलाई, 2018 और 25 अक्टूबर, 2018 को हुईं।

x) **लेबलिंग और दावे/विज्ञापन वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 27वीं बैठक दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को हुई।

xi) **दूध और दुग्ध उत्पाद वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 9वीं बैठक दिनांक 18 सितंबर, 2018 को हुई।

xii) **कुक्कुट सहित मांस और मांस उत्पाद वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 10वीं बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2018 को हुई।

xiii) **प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धतियाँ वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 23वीं बैठक दिनांक 12 सितंबर, 2018 को हुई।

xiv) **तेल और वसा वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 13वीं और 14वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 31 अगस्त, 2018 और 19 दिसंबर, 2018 को हुईं।

xv) **पेस्टीसाइड अवशिष्ट वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 53वीं और 54वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 30 अगस्त, 2018 और 20 दिसंबर, 2018 को हुईं।

xvi) **जल (सुवासित जल सहित) और बीवरेज(एल्कोहलीय, गैर-एल्कोहलीय) वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 11वीं और 12वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 21 अगस्त, 2018 और 16 नवंबर, 2018 को हुईं।

xvii) **पोषण और पौष्टिकीकरण वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 7वीं, 8वीं और 9वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 08 जून, 2018, 14 सितंबर 2018 और 05 दिसंबर, 2018 को हुईं।

xviii) **मसाले और पाक् जड़ी-बूटियाँ वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की पहली और दूसरी बैठकें क्रमश: दिनांक 29 अगस्त, 2018 और 29 अक्टूबर, 2018 को हुईं।

xix) **मिठाई, मिष्टान्न, शर्करा और शहद वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 9वीं, 10वीं और 11वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 11 जून, 2018, 05 अक्टूबर 2018 और 18 दिसंबर 2018 को हुईं।

1.3 तेलों (कच्ची घानी का सरसों का तेल, एवोकेडो तेल इत्यादि), शहद, स्प्रिंग वाटर, मांस और मांस उतपाद और विभिन्न खाद्य श्रेणियों में अतिरिक्त सहयोज्य पदार्थों के प्रावधान से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में 9 संशोधनों सहित कुल 19 अंतिम अधिसूचनाएँ; खाद्य सुरक्षा और मनक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में प्रतिजैविक और भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थों की सहयता सीमा और पेस्टीसाइडों और एमआरआई का सुमेलन से संबंधित 2 संशोधन; खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेलों की लेबलिंग अपेक्षाओं के पुनरीक्षण से संबंधित 1 संशोधन; और खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल के लिए 'बोदोईं परीक्षण' को निकालने से संबंधित 1 संशोधन को अंतिम रूप दिया गया है और उन्हें भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

1.4 5 नए मूल विनियम, अर्थात् खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढ़ीकरण) विनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराए गए हैं।

1.5 स्पाइस और कंडिमेंट, बासमती चावल, कोकोनट मिल्क पाउडर, प्रशीतित सब्जियों, सिंघाड़े के आटे, काजू, मछली और मत्स्य उत्पादों, मांस और अंडा उत्पादों, खाद्य वस्तुओं में भारी धातु की सीमा के विशद् पुनरीक्षण, खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में सूचना के

प्रदर्श के मानकों से संबंधित 13 मसौदा संशोधन अधिसूचनाएँ हितधारकों के सुझाव और सम्मतियाँ आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गईं।

1.6 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006) के अंतर्गत निर्धारित और अधिसूचित विनियमों की स्थिति

1.6.2 अधिनियम की धारा 16, 22 और 92 में खाद्य प्राधिकरण को 35 संदर्भों से विशिष्ट रूप निर्देशित करती हैं कि वह अधिनियम की धारा 92(1) के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के विनियम बनाए। खाद्य प्राधिकरण ने इन संदर्भों की विस्तार से जाँच की और देखा कि ये 32 क्षेत्रों (अधिनियम की धारा 16 और 92 के कुछ दृष्टांतों में बार-बार आए संदर्भों को छोड़कर) से संबंधित हैं, जिनमें से :

- **बाईस क्षेत्र** निर्धारित और अधिसूचित 21 मूल विनियमों में कवर हो गए हैं;
- **दो क्षेत्र** (''...प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धतियाँ'' और ''खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य'' से संबंधित) खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 में कवर हो गए हैं;
- **एक क्षेत्र** (जीन-परिवर्तित खाद्य) से संबंधित विनियम निर्धारण और मसौदा अधिसूचना की प्रक्रिया में हैं;
- **दो क्षेत्रों** (''जोखिम प्रबंधन प्रणाली'' और ''कोडेक्स कार्य'') के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं;
- **''**अभिनामित अधिकारी धारा 36 की उप-धारा (1) के तहत जिन संबंधित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा प्रशासन के प्रभारी होंगे'' से संबंधित **एक क्षेत्र** के बारे में आवश्यक अधिसूचनाएँ समय-समय पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी की जाती हैं।

शेष 3 क्षेत्रों में :

- **एक क्षेत्र [**(वित्त विनियमों से संबंधित - संदर्भ : धारा 92(2)(92(2)(न)] में विनियम बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सुझाव के अनुसार अधिनियम में उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है और इस क्षेत्र का विनियम-निर्धारण कार्य उस संशोधन के बाद ही किया जा सकता है;
- विधि मंत्रालय के सुझाव के अनुसार तत्काल विनियमों से संबंधित **एक क्षेत्र {**संदर्भ धारा 92(2)(छ)} के लिए विनियम बनाने की आवश्यकता नहीं है।

- धारा 16(2)(छ) के तहत देश में प्रवर्तन एवं अधिनियम के प्रशासन का सर्वेक्षण कराने से संबंधित **एक क्षेत्र** में विनियम बनाने आवश्यक महसूस नहीं किए गए हैं तथा अधिनियम में इसके संदर्भ का विलोप करने का प्रस्ताव अधिनियम के संशोधन के समय शामिल कर लिया जाएगा।

1.6.3 इसके अतिरिक्त अन्य मामलों के लिए विनियम बनाने के संबंध में अधिनियम की धारा 92(2)(म) के आशय के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई ने आवश्यकता के आधार पर 5 विनियम बनाए हैं। इनमें से तीन विनियम (''विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन'', ''गैर-निर्दिष्ट खाद्य का अनुमोदन'' और ''खाद्य पैकेजिंग'' से संबंधित) अधिसूचित कर दिए गए हैं तथा शेष दो विनियम (''अधिशेष खाद्य के संग्रहण और वितरण'' तथा ''स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य'' से संबंधित) के मसौदे अधिसूचना की प्रक्रिया में हैं;

अत: एफ.एस.एस.ए.आई ने विनियम-निर्धारण के सभी क्षेत्र कवर कर लिए हैं और इस संबंध में इसने अधिनियम की धारा 16, 22 और 92(2) के निर्देशों का पूरा अनुपालन कर लिया है, जिसका विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है।

1.7 डेयरी परमिएट पाउडर के मानकों में एसिड व्हे को शामिल करना

1.7.1 दूध और दुग्ध उत्पाद वैज्ञानिक पैनल ने दिनांक 10.10.2017 को आयोजित अपनी 6ठी बैठक में संबंधित कोडेक्स मानकों के समनुरूप डेयरी परमिएट पाउडर(रों) पर मानक बनाने की संस्तुति की थी। मसौदा मानकों का बाद में दिनांक 6 और 7 फरवरी, 2018 को आयोजित वैज्ञानिक समिति की 28वीं बैठक में एंडोर्स किया गया।

1.7.2 उसके बाद खाद्य प्राधिकरण की 25वीं बैठक में उद्योग के प्रतिनिधियों ने डेयरी परमिएट पाउडर(रों) में एसिड व्हे को संघटक के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया (जो कोडेक्स मानकों में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है), क्योंकि एसिड व्हे की अधिकांश मात्रा का उत्पादन भारत में किया जाता है। डेयरी परमिएट पाउडर(रों) के मानकों का अनुमोदन करते समय खाद्य प्राधिकरण ने इस विषय पर दुग्ध पैनल द्वारा अलग से विचार किया जाएगा।

1.7.3 इस मुद्दे पर दिनांक 18.09.2018 को आयोजित दूध और दुग्ध उत्पाद पैनल की 9वीं बैठक में चर्चा की गई और पैनल के सदस्यों ने निर्णय लिया कि <u>एसिड व्हे की परिभाषा और 'व्हे पाउडर' में इसके उपयोग का खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक</u>

और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में वर्णन है। अत: मौजूदा मानकों के अनुरूप एसिड व्हे को डेयरी परमिएट पाउडर में अनुमत किया जा सकता है।

2. खाद्य परीक्षण और निगरानी

2.1 खाद्य विश्लेषक परीक्षा परिणाम

2.1.1 5वीं खाद्य विश्लेषक परीक्षा और दूसरी कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षा - 5वीं एफएई तथा दूसरी जेएई का पेपर 1 और पेपर 2 दिनांक 22 सितंबर, 2018 को 13 केंद्रों में ऑनलाइन लिया गया। खाद्य विश्लेषक परीक्षा (एफएई) के लिए कुल 640 तथा कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षा (जेएई) के लिए 964 उम्मीदवार उपस्थित हुए। 5वीं एफएई परीक्षा में बैठे 640 उम्मीदवारों में से 100 उम्मीदवारों को पेपर-3 देने के पात्र घोषित किया गया। इसी प्रकार कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षा के लिए बैठे 964 उम्मीदवारों में से बोर्ड द्वारा कनिष्ठ विश्लेषक घोषित किया गया।

2.1.2 प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 22-23 दिसंबर, 2018 को तीन केंद्रों अर्थात् (i) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), कुंडली, सोनीपत, हरियाणा, (ii) खाद्य सुरक्षा और विश्लेषणात्मक गुणता नियंत्रण विभाग (एफएसएक्यूसीएल), सीएसआईआर-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएफटीआरआई), मैसूर, और (iii) खाद्य इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, रसायन प्रौद्योगिकी संस्था (आईसीटी), माटुंगा, मुंबई में ली गई। परीक्षाओं में कुल 92 उम्मीदवार उपस्थित हुए। संबंधित केंद्रों द्वारा अभी परिणाम घोषित किए जाने हैं।

योग्यता की समतुल्यता घोषित करने तथा परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तनों के अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

2.2 एफ.आर.एस.एल, गाजियाबाद (अब राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला) की प्रगति

(क) पहली मंजिल पर प्रयोगशाला स्थापित हो गई है तथा चालू हो गई है।

(ख) मेसर्स थर्मो फिशर साइंटीफिक इंडिया प्रा0 लि; के साथ हुए करार के अनुसार भूतल पर '**फूड सेफ्टी सोल्यूशन सेंटर**' स्थापित हो गया है।

(ग) मेसर्स मेर्स्क लि0 और मेसर्स सिग्मा एल्ड्रिच केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए करार के अनुसार '**सूक्ष्मजैविक विश्लेषण प्रशिक्षण केंद्र (सी-मैट)**' स्थापित

करने का कार्य भूतल पर जारी है। यह केंद्र जनवरी, 2019 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

2.3 सी.एफ.एल, कोलकाता का उन्नयन

(क) विश्लेषण उपस्कर खरीद लिए गए हैं और कुछ को छोड़कर स्थापित कर दिए गए हैं, जो स्थापित किए जा रहे हैं।

(ख) सूक्ष्मजैविक अनुभाग स्थापित करने का कार्य आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके अभिन्यास को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य आरंभ कर दिया गया है। सूक्ष्मजैविक अनुभाग के फरवरी, 2019 तक कार्य आरंभ कर देने की संभावना है।

(ग) पुराने और कार्य के अयोग्य वस्तुओं का निपटान कर दिया गया है।

2.4 तृतीय पक्ष की सहायता से राष्ट्रीय दुग्ध सर्वेक्षण पर नए अपडेट

(क) दुग्ध गुणता मॉनिटरिंग की एक सशक्त प्रणाली स्थापित करने के लिए राष्ट्रव्यापी दुग्ध गुणता सर्वेक्षण मेसर्स विमटा लैब्स, हैदराबाद द्वारा किया गया, जो तीन चरणों में पूरा हुआ;

(ख) न्यूनतम 6000 नमूने लेकर (50,000 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी 1106 शहरों के कम से कम 6 नमूनों की जाँच करके) वसा, एसएनएफ, योजित जल और प्रोटीन अंश, पेस्टीसाइडों के साथ 13 आम मिलावटों, प्रतिजैविकों और एफ्लोटोक्सिन M1 के लिए दुग्ध नमूनों का राष्ट्रव्यापी गुणतापरक परीक्षण;

(ग) पेस्टीसाइडों अथवा एंटीबॉयाटिकों सहित मिलावट विशेष के हॉटस्पॉट की पहचान करना और उसके मुख्य कारणों का विश्लेषण करना। परिमाणपरक विश्लेषण के लिए न्यूनतम नमूना साहइज गुणतापरक जाँच के लिये लिए गए कुल नमूनों का 30% था।

(घ) ऊपर उप-पैरा में पहचाने गए हॉटस्पॉटों में दुग्ध गुणता की सतत मॉनिटरंग का ढाँचा बनाना और उसे क्रियान्वित करना;

(ङ) मेसर्स विमटा लैब्स ने प्रतिचयन और स्वस्थाने विश्लेषण हेतु राज्यों को उपलब्ध कराई गई चल खाद्य प्रयोगशाला का प्रयोग किया।

(च) सर्वेक्षण दिनांक 7 मई, 2018 को आरंभ हुआ और अब समाप्त हो चुका है। अंतिरम रिपोर्ट के रूप में मुख्य परिणाम दिनांक 13.11.2018 को प्रकाशित किया गया था। विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(छ) परिणाम : अध्ययन के परिणाम दो मुख्य श्रेणियों में बाँटे गए थे अर्थात् एफ.एस.एस.ए.आई के मानकों के पालनकर्ता और अपालनकर्ता। आगे, अपालनकर्ता नमूनों को दो अन्य श्रेणियों में बाँटा गया था अर्थात् जिन्हें बिना किसी सुरक्षा मुद्दे के घटिया दर्जे के अपालनकर्ता (वे नमूने जो एसएनएफ, शर्करा, माल्टोडेक्स्ट्रिन के गुणता मानदंडों में फेल हो गए) और जो सुरक्षा की दृष्टि से फेल हो गए (अर्थात् वे नमूने जो सुरक्षा संबंधी मानदंडों में फेल हो गए)।

(ज) एन.एम.क्यू.एस 2018 के परिणाम संक्षिप्त में **सारणी 1** में नीचे दिए जा रहे हैं:

मानदंड	**नमूनों की संख्या**	**क्षेत्रवार**				**समग्र %**
		प्रसंस्कृत		**कच्चे**		
लिए गए कुल नमूने	**6432**	**2607**	**41.0**	**3825**	**59.0**	**--**
(क) पालनकर्ता	3289	1388	53.2	1905	49.7	51.1
(ख) अपानलकर्ता (एनसी)	3143	1219	46.8	1924	50.3	48.9
(i) बिना सुरक्षा मुद्दों के एनसी	2505*	769	29.5	1736	45.4	39.0
(ii) सुरक्षा मुद्दों के एनसी	638*	450	17.3	188	4.9	9.9
बिना सुरक्षा मुद्दों के कुल नमूने	**5794**	**2157**	**82.7**	**3637**	**95.1**	**90.1**
कुल असुरक्षित नमूने	**638**	**450**	**17.3**	**188**	**4.9**	**9.9**

*इनमें वे 279 घटिया नमूने शामिल नहीं हैं जो सुरक्षा मुद्दों में फेल हो गए।

#इनमें वे 279 घटिया नमूने शामिल हैं जो सुरक्षा मुद्दों में फेल हो गए।

2.5 खाद्य परीक्षण ईकोसिस्टम पर तृतीय पक्ष मेटा स्टडी पर अपडेट

- खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में खाद्य परीक्षण ईकोसिस्टम की स्थिति के बारे में मेसर्स यस बैंक लि0 के माध्यम से एक मेटा स्टडी कराई गई थी । उक्त तृतीय पार्टी को कार्य खुली निविदा के माध्यम से कुल ₹ 20,00,000/- की लागत पर दिया गया था, जिनमें कर/शुल्क शामिल नहीं थे। मई, 2018 में मेसर्स यस बैंक लि0 के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार अध्ययन 4 महीनों

में पूरा किया जाना था। तदनुसार तृतीय पार्टी ने मसौदा अंतरिम रिपोर्ट सितंबर, 2018 में प्रस्तुत कर दी थी।

- मसौदा अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार भारत में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल संख्या लगभग 2000 है। विभिन्न श्रेणियों की प्रयोगशालाओं का विवरण निम्नानुसार है:
  - खाद्य कारोबारियों की प्रयोगशालाओं सहित छोटी प्रयोगशालाएँ: > 1000-1500
  - भारत में कुल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ : ~ 600
  - एनएबीएल-प्रत्यायित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ : ~ 462
  - एफ.एस.एस.ए.आई की प्रयोगशालाएँ (यथा अगस्त, 2018 में): ~ 265
  - ईआईसी द्वारा मान्यता-प्रदत्त प्रयोगशालाएँ : ~ 35
  - एपिडा-मान्य प्रयोगशालाएँ (यथा 1 मार्च, 2018 को) : ~ 40
  - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता-प्रदत्त प्रयोगशालाएँ (यथा 31 दिसंबर, 2017 को) : ~ 72
- खाद्य कारोबारियों द्वारा 50% अनुपालन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रयोगशालाएँ हैं, 80% और 100% अनुपालन के लिए क्रमश: 145 और 284 प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है।
- खाद्य कारोबारियों तथा होरेका के संयुक्त अनुपालन की स्थिति में 50%, 80% और 100% अनुपालन के लिए क्रमश: 169, 513 तथा 743 अन्य प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होगी।

2.6 खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 की अधिसूचना

(क) खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग III, खंड 4) में दिनांक 8 नवंबर, 2018 को अधिसूचित किया गया।

2.7 खाद्य सुरक्षा ईकोसिस्टम के सशक्तीकरण पर अपडेट

(क) केंद्रीय क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन के लिए समयावधि बढ़ाने के संबंध में

एफ.एस.एस.ए.आई 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों के अवधि के लिए ''चल खाद्य प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली के सशक्तीकरण'' की केंद्रीय क्षेत्र की योजना का क्रियान्वयन कर रही है। इस

योजना के अधिकांश घटकों का क्रियान्वयन राज्यों/संघशासितत क्षेत्रों की तैयारी तथा इसके लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन है। एक तरफ राज्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने, एमओयू हस्ताक्षर करने तथा नवीकरण कार्य आरंभ/पूरा करने में बहुत समय ले रहे हैं, दूसरी तरफ योजना के तहत निधि की कमी है। तदनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को योजना को दो अन्य वर्षों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

(ख) राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण (यथा 31.10.2018 को)

उन्नयन हेतु विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को ₹ 18.50 करोड़ का अनुदान स्वीकृत/जारी किया गया है। इससे उन्नयन के लिए जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 109.95 करोड़ से बढ़कर ₹ 128.45 करोड़ हो गया है। इससे 25 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की 31 राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ कवर हो गई हैं।

(ग) चल खाद्य प्रयोगशाला (एफएसडब्ल्यू)

10 अन्य एफ.एस.डब्ल्यू स्वीकृत/वितरित की गईं, जिससे राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को कुल स्वीकृत/वितरित एफएसडब्ल्यू की संख्या 31 से बढ़कर 41 हो गई।

3. खाद्य सुरक्षा अनुपालन

3.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 के तहत एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा मान्यता प्रदत्त तृतीय पार्टी खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग एजेंसी के ऑडिटरों के लिए एक ऑडिटर मैनुअल तैयार किया गया है। यह प्रलेख तैयार करने का प्रयोजन मान्यता-प्रदत्त ऑडिटरों को लाइसेंसशुदा खाद्य कारोबारियों का ऑडिट करते समय एक समान पद्धति अपनाने में सहायता करना है। इस मैनुअल में ऑडिटरों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ, उसके कर्तव्य तथा खाद्य सुरक्षा ऑडिट की प्रक्रिया की रूपरेखा बताई गई है। आगे, इसमें ऑडिटर/एजेंसी को हर प्रकार के कारोबार के लिए ऑडिट की आवृत्ति तथा उसके लिए लगाए जाने वाले दिनों की संख्या से अवगत कराया गया है। इस प्रलेख का प्रयोग खाद्य कारोबारियों द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अपनाई जा रही ऑडिट की प्रक्रिया को समझने में भी सहायता मिलेगी। यह मैनुअल https://www.fssai.gov.in/home/safe-food-practices/THIRD-PARTY-AUDITS.html पर उपलब्ध है।

3.2 खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य) विनियम, 2017 के अंतर्गत जैविक खाद्यों का अनुपालन

(क) दिनांक 25.07.2018 को आदेश संख्या स्टैंडर्ड्स/जैविक/02/2017 द्वारा निर्देश दिए गए थे कि खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य) विनियम, 2017 की अपालनकर्ता आयातित खाद्य की खेपों को रद्द कर दिया जाए और आयातक/ सीएचए को खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के अनुसार पुनरीक्षण आवेदन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अपनाने का परामर्श दिया गया था। दिनांक 01.07.2018 से पहले आयातित परंतु 01.07.2018 को अथवा उसके बाद आई जैविक खाद्य की खेपों को खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017 के अनुपालन से छूट दी गई है।

(ख) आगे, दिनांक 21.08.2018 के आदेश संख्या 1-1770/एफ.एस.एस.ए.आई/ आयात/2018 द्वारा जैविक खाद्य के रूप में दावागत आयातित खाद्य की खेपों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017 के अनुपालन के लिए दिनांक 31.08.2018 तक छूट दी गई थी तथा एफ.एस.एस.ए.आई के जैविक लोगो के लिए अवियोज्य स्टिकर का प्रयोग करने के लिए 31.12.2018 तक अनुमति दी गई थी।

3.3 दालों में "ग्लाइफोसेट" भेषजनाशी का परीक्षण : दिनांक 12.10.2018 के आदेश संख्या 1771/एफ.एस.एस.ए.आई/आयात/2018 द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को प्रयोगशालाओं को यह निर्देश देने का आदेश दिया गया था कि अन्य मानदंडों के साथ ''ग्लाईफोसेट'' भेषजनाशी का परीक्षण किया जाए तथा यह भी निर्देश दिया गया था कि आयात निर्मुक्ति के लिए दालों में ग्लाइफोसेट की एमआरएल कोडेक्स मानकों में विहित सीमा के अनुसार अपनाई जाए। क्षेत्रीय कार्यालयों को दालों में ग्लाइफोसेट का परीक्षण संबंधी डैटा हर 15 दिन बाद एफ.एस.एस.ए.आई मुख्यालय को भेजा जाए।

3.4 प्राधिकृत अधिकारियों की अधिसूचना : दिनांक 31.10.2018 को आदेश सं0 1737/ एफ.एस.एस.ए.आई/आयात/2018 जारी किया गया था, जिस द्वारा श्री डी. पी. गुहा की सेवा-निवृत्ति के बाद श्री राजेश सिंह, निदेशक को आयातित खाद्य निर्मुक्ति प्रक्रिया के लिए दिनांक 01.11.2018 से अगले आदेश तक कोलकाता सीपोर्ट और कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया था। डॉ. गीतांजलि (सूक्ष्मजैवविज्ञानी, सीएफएल, कोलकाता) को श्री राजेश सिंह का लिंक

अधिकारी नियुक्त किया गया और इस प्रकार वे श्री राजेश सिंह की अनुपस्थिति में उपर्युक्त क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी।

3.5 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने ''खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन का कार्यकारिता ऑडिट'' पर 2017 की रिपोर्ट सं0 37 के अध्याय II - विनियमात्मक और प्रशासनिक ढाँचा द्वारा संस्तुति की थी कि *''एफ.एस.एस.ए.आई मानकों के निर्धारण ओर पुनरीक्षण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया बना सकती है और इनका अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है।''* इस प्रसंग में वैज्ञानिक समिति के सचिवालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम तथा विनियमों के अनुसार वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों तथा मानक/विनियम-निर्धारण की प्रक्रियाओं के ध्यान में रखते हुए ''खाद्य विनियम निर्धारण मैनुअल'' बनाया था। मैनुअल पर वैज्ञानिक समिति ने दिनांक 06.06.2018 और 15.11.2018 को अपनी क्रमश: 30वीं और 31वीं बैठक में चर्चा की। समिति ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) मैनुअल के प्रारूपण के लिए किए गए कार्य की सराहना की कुछ सुझाव दिए, जिन्हें मैनुअल में शामिल किया गया। समिति ने मैनुअल का अनुमोदन कर दिया है। उक्त मैनुअल का प्राधिकरण द्वारा मानक/विनियम-निर्धारण हेतु आंतरिक प्रचालन प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विवरण प्रस्तुत।

4. वैश्विक संपर्क

4.1 **कोडेक्स बैठकों में भागीदारी -** दिनांक 14 जून, 2018 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद भारत ने कोडेक्स की 5 समितियों में भाग लिया, जो हैं : कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन (सीएसी) का 41वाँ सत्र, सीएसी की कार्यकारी समिति का 76वाँ सत्र (सीसीएक्जीक्यू), खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण तथा प्रमाणन प्रणालियों पर कोडेक्स समिति का 24वाँ सत्र (सीसीएफआईसीएस), खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति का 50वाँ सत्र (सीसीएफएच), और विशेष आहारिक उपयोग के लिए पोषण और खाद्य पर कोडेक्स समिति का 40वाँ सत्र (सीसीएनएफएसडीयू)। भारत की दखलों के आधार पर कमिशन/समिति द्वारा सहमत उपर्युक्त बैठकों की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

(क) समिति ने एंडोक्राइन डिस्रप्टिंग केमिकलों के रूप में पेस्टीसाइडों के मुद्दे पर भारत द्वारा प्रस्तावित नए कार्य की महत्ता को नोट किया और भारत को

2019 में आयोजित किए जाने वाले सीसीपीआर के अगले सत्र में प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया।

(ख) मूल रूप से भारत द्वारा प्रारूपित और प्रस्तुत बैंगनों के मानक का अंतिम अंगीकरण।

(ग) भारत के प्रस्ताव के अनुसार 0.4 मिग्रा/किग्रा पर आम की चटनी में में सीसे की अधिकतम सीमा (एमएल) का अंतिम अंगीकरण। यह अंगीकृत एमआरएल भारत द्वारा देश में प्राप्त डैटा के आधार पर ओक्यूरेंस स्तरों से अधिक है।

4.2 "कोडेक्स में भागीदारी के लिए प्रभावी तैयारी" पर प्रशिक्षण कार्यशाला

दिनांक 5-6 सितंबर, 2018 को द ललित होटल, नई दिल्ली में सीसीएशिया के सदस्य देशों में एक दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 18 एशियाई देशों के के 45 अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें एशियाई देशों को कोडेक्स वेब टूल्ज को आपरेट करने की दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

4.3 कोडेक्स में भारत की सफलता की कहाना

सितंबर, 2018 में कोडेक्स सचिवालय ने कोडेक्स की किसी एक समिति की बैठक में प्रदर्शित करने के लिए कोडेक्स मानकों के क्रियान्वयन हेतु भारतीय झींगा उद्योग(नेल्लोर, आंध्र प्रदेश) की सफलता की कहानी कवर की।

4.4 कोडेक्स ट्रस्ट फंड 2

कोडेक्स ट्रस्ट फंड 2 (सीटीएफ) की स्थापना एफएओ/डब्ल्यूएचओ द्वारा पात्र देशों में सहायता-प्रदत्त गतिविधियों की श्रेणियों के माध्यम से कोडेक्स में सहभागिता हेतु सशक्त, ठोस और वहनीय राष्ट्रीय क्षमता-निर्माण के प्रयोजन से की गई है। सीटीएफ2 के अनुसार अलग-अलग देशों अथवा सफल प्रयोगों वाले पात्र समूह देशों के माध्यम से बहु-वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगुआ देश के रूप में भारत ने भूटान और नेपाल के साथ कोडेक्स में पूरी और प्रभावी सहभागिता हेतु क्षमता-निर्माण के लिए सीटीएफ2 के तहत राष्ट्रीय कोडेक्स ढाँचे, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए ग्रुप आवेदन किया। इस आवेदन को सीटीएफ सचिवालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

4.5 यूएस-सीसीएशिया संवाद में भागीदारी

यूएस-सीसीएशिया संवाद बैंगकाक में 16 से 18 अक्टूबर, 2018 तक 2018 में होने वाली कोडेक्स खाद्य स्वच्छता समिति (सीसीएफएच), कोडेक्स पोषण ओर विशेष आहारिक प्रयोजन के लिए खाद्य समिति (सीसीएनएफएसडीयू) तथा प्रति-सूक्ष्मजैविक प्रतिरोधिता कार्य दल (टीएफएएमआर) के आगामी सत्र की तैयारी करने के लिए सीसीएशिया की मुख्य समितियों से पहले विचार-विनिमय तथा गंभीर एवं अनौपचारिक चर्चाओं के लिए हुआ था।

4.6 हस्ताक्षरित एमओयू/एमओसी

(क) एफ.एस.एस.ए.आई तथा यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी (ईएफएसए) के मध्य परमा, इटली में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई के यूरोप दौरे के दौरान 14 सितंबर, 2018 को सहयोग के एक ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए। दौरे के दौरान ईएफएसए द्वारा एमआरएल तथा आयात सहयता तय करने की प्रक्रिया को समझने के बारे में बैठकें भी हुईं।

(ख) समझौते का ध्येय जोखिम आकलन से संबंधित डैटा संग्रहण तथा डैटा विनियम के क्षेत्र में दानों एजेंसियों के मध्य वैज्ञानिक सहयोग तथा संवाद को बढ़ावा देना था।

(ग) एफ.एस.एस.ए.आई तथा जापान की चार एजेंसियों अर्थात् फूड सेफ्टी कमिशन ऑफ जापान, कंज्यूमर एफेयर्स एजेंसी ऑफ जापान, जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय तथा जापान के कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्रालय के मध्य दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 को भारत-जापान वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री के जापान दौरे के दौरान हस्ताक्षरित तथा विनिमय किया जाना है।

4.7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई के नेतृत्व में 10 से 14 सितंबर, 2018 तक नीदरलैंड्स/बेल्जियम/इटली (ईएफएसए) का दौरा

(क) यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी (ईएफएसए) यूरोप में जोखिम आकलन की प्रमुख यूरोपीय एजेंसी है। ईएफएसए के साथ सहयोग का एक समझौता दिनांक 14 सितंबर, 2018 तक परमा, इटली में ईएफएसए मुख्यालय के दौरे के दौरान हस्ताक्षरित किया गया।

(ख) इस दौरे से एफ.एस.एस.ए.आई तथा यूरोप की अन्य एजेंसियों अर्थात् नीदरलैंड्स की एनवीडब्ल्यूए, बेल्जियम की डीजी सांते एंड बेल्जियन फेडरल एजेंसी फॉर सेफ्टी ऑफ फूड चेन, रोम में एफएओ/कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन तथा परमा, इटली में ईएफएसए के मध्य खाद्य सुरक्षा के क्षत्रों में पारस्परिक सहयोग को मजबूत बनाने में सहायता मिली।

(ग) ईएफएसए के साथ एमओयू से ईएफएसए द्वारा प्ला प्रोटेक्शन उत्पादों (पेस्टीसाइडों) की अधिकतम अवशिष्ट स्तर (एमआरएल) और आयात सहयता तय करने की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलेगी। इससे भारत में ऐसी ही प्रणालियाँ स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

4.8 एमओयू के तत्वाधान में डेनमार्क का अध्ययन दौरा - 19-21 सितंबर 2018

(क) अप्रैल, 2018 में एफ.एस.एस.ए.आई तथा डेनिश वेटरीनरी एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन (डीवीएफए), डेनमार्क के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) एमओयू के तत्वाधान में डीवीएफए डेनमार्क डेनमार्क में एक्स्पोजर-सह-अध्ययन दौरे के लिए डेनमार्क के दौरे के लिए आमंत्रित किया। तदनुसार एफ.एस.एस.ए.आई से एक प्रतिनिधिमंडल ने 19-21 सितंबर, 2018 तक डेनमार्क का दौरा किया, जिसकी व्यवस्था डीवीएफए, पर्यावरण और खाद्य मंत्रालय, डेनमार्क द्वारा की गई।

(ग) इस दौरे से डेनमार्क में खाद्य विनियमन प्रणाली, स्कूलों में चालू उनकी संवर्धन गतिविधियों तथा नोर्डिक फूड लैब नीति द्वारा उपबंधित खाद्य सुरक्षा समाधान एवं पोषण संबंधी संस्तुतियों को समझने में लाभदायक हुई।

5. प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

5.1 फोस्टैक प्रगति

अब तक 143 प्रशिक्षण सहयोगियों को पैनल में शामिल किया गया है। 1400 से अधिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 500 मूल्यांककों की पहचान की गई है। अब तक देश में 3624 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में फोस्टैक के अंतर्गत 98827 से अधिक खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त एफ.एस.एस.ए.आई ने विशिष्ट संगठनों/ग्रुपों उदाहरणार्थ विभागीय कैंटीनों, कॉलेज कैंटीनों/मेस/कैफेटीरिया, जेलों, मध्याह्न भोजन के कुकों, एसएचजी, अर्ध-सैनिक बलों, जैसे बीएसफ, कार्पोरेट कार्यालयों इत्यादि के खाद्यकर्मियों को प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण अपनाना आरंभ कर दिया है।

खाद्य प्राधिकरण के निर्णय के अनुपालन में सभी राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों तथा क्षेत्रीय निदेशकों को दिनांक 6 अक्टूबर 2017 तथा 25 अप्रैल 2018 के आदेशों द्वारा अपने राज्यों में राज्य के साथ-साथ केंद्रीय लाइसेंसशुदा खाद्य कारोबारियों के लिए फोस्टैक प्रशिक्षण दिलाने को कहा गया। अब तक कुल 16 राज्यों ने फोस्टैक के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किए हैं। आगे, खाद्य प्राधिकरण की 25वीं बैठक के अनुमोदन के अनुसार फोस्टैक को अनिवार्य बनाने का उपबंध खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में उचित रूप से शामिल किया जा रहा है।

5.2 नए पाठ्यक्रम शामिल करना : 3 अन्य कोर्स शामिल किए गए हैं अर्थात् स्वास्थ्य अनुपूरक और न्युट्रास्युटिकल्स, कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पाद और मांस एवं मांस उत्पाद (बड़े पशु)। पाठ्यक्रम के विवरण निम्नानुसार हैं:

- **स्वास्थ्य अनुपूरक और न्युट्रास्युटिकल्स :** प्रशिक्षण मैनुअल और प्रशिक्षण पद्धति को अंतिम रूप दे दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर के संसाधन व्यक्यिों (एनएलआरपी) के लिए दिनांक 28 सितंबर, 2018 को एक कार्यशाला आयोजित की गई।
- **कुक्कुट मांस, कुक्कुट मांस उत्पाद और अंडा :** प्रशिक्षण मैनुअल और प्रशिक्षण पद्धति को अंतिम रूप दे दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर के संसाधन व्यक्तियों (एनएलआरपी) के लिए दिनांक 13 सितंबर, 2018 को एक कार्यशाला आयोजित की गई। वेंकीज, गोडरेज टाइसन, लिसियस और विस्टा आदि कंपनियों ने अपने खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना पहले ही प्रारंभ कर दिया है। आगे, एक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (टीओटी) कार्यक्रम 15 सितंबर, 2018 को आयोजित किया जाना है।
- **मांस और मांस उत्पाद (बड़े पशु) :** प्रशिक्षण मैनुअल और प्रशिक्षण पद्धति को अंतिम रूप दे दिया गया है। आगे, एक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (टीओटी) कार्यक्रम 16 नवंबर, 2018 को आयोजित किया जाना है।

5.3 एफ.एस.एस.ए.आई ने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, एफ.एस.एस.ए.आई-अधिसूचित प्रयोगशालाओं और अन्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं खाद्य विश्लेषकों तथा अन्य वैज्ञानिक/तकनीकी कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थाओं/ एजेंसियों के सहयोग से देश के विभिन्न स्थानों पर विशेषीकृत क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात् **उत्तम खाद्य प्रयोगशाला रीतियाँ (जीएफएलपी)** कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं0	**राज्य**	**स्थान**	**प्रशिक्षण की तिथि**	**प्रशिक्षुओं की सं0**
क. विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यकम				
I. दूध पौष्टिकीकारकों के विश्लषण का प्रशिक्षण कार्यक्रम				
1.	गुजरात	पशुधन एवं आहार विश्लेषण तथा अध्ययन केंद्र (कॉफ), एन.डी.डी.बी, आणंद	11-15 जून, 2018	13
II. तेल और वसा पौष्टिकीकारकों के विश्लेषण का प्रशिक्षण कार्यक्रम				
1.	हरियाणा	मेसर्स फेअर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम	24-28 सितंबर, 2018	22
III. सूक्ष्मजैविक खाद्य सुरक्षा प्रतिचयन और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में प्रयोगिक प्रशिक्षण - (इसके बाद दिनांक 9 और 10 अक्टूबर, 2018 को रेडिसन ब्ल्यू, नई दिल्ली में दो-दिवसीय संगोष्ठी हुई)				
1.	दिल्ली	एफ.एस.एस.ए.आई, नई दिल्ली	8 अक्टूबर, 2018	40
IV. उन्नत सूक्ष्मजैविक तकनीकों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण				
1.	गुजरात	फूड एंड ड्रग्स लैबोरेटरी, वडोदरा	26-30 नवंबर, 2018	30
			योग (क)	**105**
ख. सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम : उत्तम खाद्य प्रयोगशाला रीतियाँ				
1.	उत्तर प्रदेश	सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान् (आईआईटीआर), लखऊ	20-22 जून, 2018	25
2.	दिल्ली	श्रीराम इन्स्टीट्यूट फॉर	31 जुलाई-2	29

		इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली	अगस्त, 2018	
3.	गुजरात	विमटा लैब्स लिमिटेड, गुजरात	28-30 अगस्त, 2018	33
4.	तमिल नाडु	भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्था, आईआईएफटी, तंजावुर	10-11 सितंबर, 2018	32
5.	आंध्र प्रदेश	भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्था, आईआईसीटी, हैदराबाद	17-19 सितंबर, 2018	31
6.	महाराष्ट्र	एन्वीकेअर लैबोरेटरीज, मुंबई	24-26 सितंबर, 2018	36
7.	केरल	निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए), कोची	09-11 अक्टूबर, 2018	36
8.	राजस्थान	राष्ट्रीय परीक्षण गृह (एनटीएच), जयपुर	24-26 अक्टूबर, 2018	33
योग (ख)				**248**
कुल (क+ख)				**353**

5.4 विनियामक स्टॉफ का प्रशिक्षण

5.4.1 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए दो विभिन्न राज्यों अर्थात् मणिपुर और पश्चिमी बंगाल में परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 124 अधिकारियों ने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पास किया। अभिनामित अधिकारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम पश्चिमी बंगाल में आयोजित किए गए, जिनमें 15 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। राजस्थान में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान राज्य के 60 अभिनामित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। न्युट्रास्युटिकल्स विनियमों के बारे में एफ.एस.एस.ए.आई के मुख्यालय, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, सिक्किम और गुजरात में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 76 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के 150

अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस प्रकार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 438 विनियामक स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया गया।

6. सामाजिक और व्यवहारगत प्रशिक्षण

आईईसी गतिविधियाँ

6.1 ईट राइट इंडिया अभियान

जीवन शैली के रोगों से निपटने और भारत में जन स्वास्थ्य में सुधार लाने और नकारात्मक पोषण प्रवृत्तियों से निपटने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई 10 जुलाई, 2018 से 'ईट राइट इंडिया अभियान' चला रही है। माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर का लाभ उठाने की प्रेरणा लेकर 'ईट राइट इंडिया अभियान' के तहत विभिन्न गतिविधियाँ की गईं। इनमें राष्ट्र को प्रवृत करने और उसमें खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता तथा स्वस्थ खान-पान की आदत डालने के लिए *''स्वस्थ भारत यात्रा,* जो एक राष्ट्र-व्यापी साइकिल रैली है', *'ईट राइट मेले', 'ईट राइट सम्मेलन'* और *'राष्ट्र स्तरीय ईट राइट रचनात्मकता चुनौती'* शामिल हैं।

(क) स्वस्थ भारत यात्रा (16 अक्टूबर, 2018 से 29 जनवरी, 2019) : यह 100 दिनों की एक अखिल भारतीय रिले साइकिल यात्रा होगी, जिसमें 20,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जाएगी, 21,629 स्वैच्छिक साइकिल यात्री भाग लेंगे, 2156 स्थानों गतिविधियाँ और समारोह होंगे, 250 लाख लोगों से संपर्क होगा, 6000 से अधिक ईट राइट चैम्पियन बनेंगे। इस गतिविधि का व्यापक प्रेस कवरेज हुआ, प्रिंट मीडिया और लगभग 50 टीवी चैनलों में 250 से अधिक स्टोरीज सामने आईं।

(ख) राष्ट्रीय ईट राइट रचनात्मकता चुनौती : यह युवाओं की रचनात्मक क्षमता को उजागर करने तथा 'ईट राइट इंडिया अभियान' के संदेश को फैलाने के लिए अखिल भारतीय पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता है। इसमें 3600 स्कूलों के 75,000 विद्यार्थी भाग लेंगे, 150 भित्ति चित्र बनाए जाएँगे तथा वीडियो, लघु कथाओं, और जिंगलों सहित 800 डिजिटल क्रिएटिव बनेंगे।

(ग) पहला राष्ट्रीय ईट राइट मेला : यह अपनी तरह का पहला मेला था, जो परस्पर इंटरएक्टिव तथा सूचनाप्रद था, इसमें उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित किया गया। यह मेला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14 से 16 दिसंबर, 2018 तक 'सुरक्षित खाएँ, स्वास्थ्यकर खाएँ और पौष्टिकीकृत खाएँ'' विषय पर था। इसमें पैविलियनों,

खाद्य स्टालों, कई प्रकार की गतिविधियाँ थीं। राज्यों की राजधानियों में 40 अन्य स्थानों पर भी ऐसे ही मेल आयोजित किए जाएँगे।

6.2 जन संचार ओर सोशल मीडिया गतिविधियाँ : राजकुमार राव (#आजसेथोड़ाकम) और साक्षी तंवर (#देखा क्या) जैसे ख्यात व्यक्तियों की लघु फिल्में, राष्ट्रीय प्रसारण चैनल के सहयोग से ईट राइट अभियान पर साप्ताहिक कार्यक्रम, रेडियो जिंगलें, इंटरएक्टिव सामग्री वाले अलग वेब पोर्टल, लघु वीडियो, जीआईएफ, ईट राइट क्विज, ईट राइट कैलेंडर, यूट्यूब, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉमों से प्रमुख संदेशों का प्रसारण किया गया और अपडेट उपलब्ध कराए गए।

6.3 स्वच्छ स्ट्रीट फूड केंद्र :

इस पहल का प्रयोजन स्ट्रीट खाद्य की गुणता फूड कोर्ट तथा स्थापित होटलों और रेस्टोरेंटों के स्तर की लाना है। एफ.एस.एस.ए.आई ने दिनांक 4 सितंबर, 2018 को कांकरिया लेक, अहमदाबाद को पहला स्वच्छ स्ट्रीट फूड केंद्र घोषित किया है। एफ.एस.एस.ए.आई ने तीन अन्य स्थानों - गुजरात के अर्बन चौक, अहमदाबाद और गोपी तालाव, सूरत को तथा मध्य प्रदेश के 56, दक्कन, इंदौर को संभावी स्वच्छ स्ट्रीट फूड केंद्र के रूप में घोषित किया है।

6.4 रुको:

विश्व बॉयोफ्यूल दिवस को एफ.एस.एस.ए.आई ने रुको - पुनर्प्रयोजन प्रयुक्त पकवान तेल की पहल आरंभ की, जिसके तहत प्रयुक्त पकवान तेल को इकट्ठा करके उसका बॉयोडीजल बनाना है। यूको मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई बॉयोडीजल एसोशिएशन ऑफ इंडिया (बीडीएआई) तथा खाद्य उद्योग के साथ काम कर रही है। बॉयोडीजल बनाने के लिए 2 लाख लीटर यूको इकट्ठा किया गया है।

6.5 उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ कार्य:

देश में खाद्य सुरक्षा ईकोसिस्टम को अपडेट करने के लिए तथा भावी खाद्य पेशेवरों की क्षमता बढ़ाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा तथा अनुप्रयुक्त पोषण पर उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ काम करने का विशद् ढाँचा तैयार किया है। प्रारंभिक कदम के रूप में सीआईआई-एसकेए द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 160 महाविद्यालयों की

भागीदारी से आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क्विज को खाद्य विनियामक की पहले के प्रति संवेदी बनाने के लिए मंच के रूप में प्रयोग किया।

6.6 मार्गदर्शी नोट:

एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य अपमिश्रण संबंधी आम चिंताओं के समाधान के लिए उपभोक्ताओं के लिए मार्गदर्शी नोट तैयार किए हैं और उनका वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रसार किया है। अब तक निम्नलिखित 7 मार्गदर्शी नोट प्रकाशित किए गए हैं :

(क) मछली में फोर्मलिन का मुद्दा
(ख) सुरक्षित पिसे मसाले : उनका मिलावटी न होना कैसे सुनिश्चित किया जाए
(ग) फलों की कृत्रिम पकाई
(घ) अंडे की गुणता और सुरक्षा : प्लास्टिक के अंडों के बारे में भ्रांति का निराकरण
(ङ) फलों और सब्जियों पर स्टिकर
(च) प्रयुक्त पकवान तेल की हैंडलिंग और उसका निपटान
(छ) विकरणित खाद्य सुरक्षित है : इस संबंध में भ्रांतियों का निराकरण

6.7 'हर्ट अटैक रिवाइंड' अभियान

एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य आपूर्ति में औद्योगिक रूप से प्रसंस्कृत ट्रांस फैटों की समाप्ति के लिए दिनांक 30.11.2018 को एक जन संचार अभियान आरंभ किया। 'हर्ट अटैक रिवाइंड', जो जन सेवा हेतु 30 सेकिंड की घोषणा (पीएसए) है और अपने प्रकार का पहला जन संचार अभियान है, से भारत में ट्रांस फैट को 2022 तक समाप्त करने के लक्ष्य में सहायक होगा। ''हर्ट अटैक रिवाइड'' से नागरिकों को ट्रांस फैट खाने से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से अवगत कराया गया है और स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प चुनकर उनसे बचने की नीति भी बताई गई है।

पीएसए को मुख्य प्लेटफॉर्मों यथा यूट्यूब, फेसबुक, होटस्टार, और वूट पर चार सप्ताह तक 17 भाषाओं में प्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त यह अभियान रेडियो चैनलों और दिल्ली/एनसीआर में होर्डिंगों के माध्यम से भी चलाया गया। साथ-साथ सोशल मीडिया अभियान से ट्रांस फैट से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला गया।

6.8 प्रदर्शिनयों में भागीदारी

(क) **27 से 29 जुलाई, 2018** तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 'सरकारी उपलब्धियाँ और योजनाएँ प्रदर्शनी''। एफ.एस.एस.ए.आई को सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों और सर्वोत्तम डिस्प्ले के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

(ख) **23 से 25 अगस्त, 2018** तक चेन्नई ट्रेड सेंटर में इंडिया ट्रेड प्रोमोशन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित आहार - खाद्य और सत्कार मेला 2018

(ग) **30 अगस्त से 1 सितंबर, 2018** तक यूबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडिया एक्स्पो मार्ट, ग्रेटर नोएडा के दौरान फूड इंग्रीडिएंट्स इंडिया एंड हेल्थ इन्ग्रीडिएंट्स (फाई इंडिया एंड हाई)।

(घ) **23 से 27 अक्टूबर, 2018** तक सिडको प्रदर्शनी केंद्र, नवी मुंबई में आयोजित ''जूफोस्ट इंडिया 2018''।

(ङ) **24 से 27 अक्टूबर, 2018** तक बोंबे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र, मुंबई में आयोजित ''ड्रिक टेक्नॉलॉजी इंडिया, 2018''।

(च) **25 से 27 अक्टूबर, 2018** तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित ''बॉयोफैच इंडिया 2018''।

(छ) **25 से 27 अक्टूबर, 2018** तक आईएआरआई पूसा कैंपस, नई दिल्ली में आयोजित ''एग्रोवर्ल्ड, 2018''।

(ज) **1 से 3 नवंबर, 2019** तक त्यागराज स्पोर्ट्स कंप्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित 'जलवायु जंबूरी 2018''।

(झ) **2 से 4 नवंबर, 2018** तक पीतमपुरा दिल्ली हाट, नई दिल्ली में आयोजित ''5वाँ वाइब्रैंट इंडिया 2018''।

(ञ) **27 से 29 नवंबर, 2018** तक सीआईईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली में आयोजित 23वाँ अखिल भारतीय बाल शिक्षा ऑडियो-वीडियो उत्सव और आईसीटी मेला''।

(ट) **12 से 15 दिसंबर, 2018** तक सीएफटीआरआई, मैसूर में 8वाँ अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सम्मेलन (इफ्कॉन 2018)''। एफ.एस.एस.ए.आई को जन जागरूकता पैदा करने, खाद्य सुरक्षा के लिए काम करने और प्रोत्साहित करने के लिए बेस्ट एक्जीबीटर अवार्ड प्रदान किया गया।

--